दिनांक -02 दिसम्बर, 2023

क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण : वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)
टी- 95, दूसरा मंजिल, सी. एल. हाउस, गौतम नगर,
नई दिल्ली- 110 049
ईमेल- adr@adrindia.org;
दूरभाष - 011-4165 4200

प्रस्तावना

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (**आईसीऐआई**) द्वारा वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों का लेखा पद्धति के लिए एक निर्धारित लेखांकन मानक बनाया है। राजनीतिक दल वाणिज्यिक, गैर- औद्योगिक और गैर- व्यापारिक इकाई के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से, अन्य संस्थाओं के मानकों का लेखा स्वरूप राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता है।

राजनीतिक दलों का लेखा पद्धति और ऑडिट रिपोर्ट में एकरूपता लाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया की वे एक प्रारूप तैयार करें। इस प्रकार, ईसीआई के अनुरोध पर आईसीएआई द्वारा फरवरी 2012 में "***Guidance note on Accounting & Auditing of political parties***" या "***Accounting guidelines***" तैयार किये गए थे। इस आदेश का उदेश्य राजनीतिक दलों के लेखांकन और लेखा पद्धति के मानकों में सुधार और उनके वित्तीय पारदर्शिता लाना था। इन दिशा-निर्देशों का सिद्धांत राजनीतिक दलों के आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की मान्यता, माप और वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने पहले निम्नलिखित वर्षों के लिए राजनीतिक दलों की संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया था।

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच, एडीआर ने दिनांक 9 मार्च 2018 को **22 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्तियों और देनदारियों का विश्लेषण किया।
- एडीआर ने अपनी अगली रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई 2019 को जारी की जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के बीच **सात राष्ट्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण था, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति **रु 3260.81 करोड़** थी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में **6%** बढ़कर **रु 3456.65 करोड़** हो गयी।
- एडीआर ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए **39 क्षेत्रीय दलों** और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए **41 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों के विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी किया था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, एडीआर ने **7 राष्ट्रीय दलों** और **41 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्तियों और देनदारियों का विश्लेषण दिनांक 18 मार्च 2021 को जारी किया था।
- एडीआर की रिपोर्ट दिनांक 28 जनवरी, 2022 को जारी की गयी थी जिसमें सभी **7 राष्ट्रीय दलों** और **44 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया था यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 की थी।
- एडीआर की पिछली रिपोर्ट दिनांक 4 सितम्बर, 2023 को जारी की गयी थी जिसमें सभी **8 राष्ट्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया था यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 की थी।

यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए **44 क्षेत्रीय दलों** और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए **37 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण है।

सारांश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- ***'बैलेंस शीट' क्या है ?***

बैलेंस शीट में तीन मुख्य वित्तीय जानकारी होती है | **क**) दलों के संपत्ति में नकद, बैंक निवेश, गाडी, चल और अचल संपत्ति आदि ऐसे संसाधन होते हैं | **ख**) राजनीतिक दलों के कुल सम्पति से कुल देनदारियों को घटा कर जो शेष है वो कैपिटल या रिज़र्व फण्ड है तथा दल इस पूंजी को अन्य सम्पति या देनदारियों में उपयोग करते हैं | **ग**) राजनीतिक दलों के देनदारियों में बैंकों से ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ, असुरक्षित ऋण आदि शामिल हैं |

- ***राजनीतिक दलों के संपत्ति और देनदारियों/ आय और व्यय में विशेषता क्या है?***

संस्थाओं की कार्यविधि और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानक बनाया गया है |राजनीतिक दलों की कोई व्यसायिक गतिविधि नहीं होती है, इसका उदेश्य केवल लेखा पद्धति को एकरूपता से बनाये रखना है | राजनीतिक दलों के कार्यविधि के अनुसार, लेखा पद्धति के शब्दावली में थोड़ा संशोधन जैसे लाभ और हानि की जगह आय और व्यय है |

- ***चुनाव आयोग की पारदर्शिता के दिशा निर्देश क्या हैं ?***

मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर क़ानूनी तौर पर गतिविधियों में कमी हो तो सविधान का **अनुच्छेद 324** चुनाव आयोग को पूर्ण सशक्त बनाता है | यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (एआईआर 1978 एससी 851) के द्वारा स्थापित है | चुनाव आयोग ने 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ परामर्श करके 'पारदर्शिता दिशानिर्देश' प्रचलित की जो इन दलों पर क़ानूनी तौर पर बाध्यकारी है | इन दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने दलों को आईसीएआई के निर्देशों (जो फ़रवरी, 2012 में संचारित किये गए थे) का पालन करने की सलाह दी है |

पारदर्शिता दिशानिर्देश 2014 में सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ क़ानूनी परामर्श करके प्रचालित किये गए और यह बाध्यकारी हैं | इन दिशानिर्देशों में राजनीतिक दलों को वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए कठोरता से पालन करने की सलाह दी है | यह दिशा निर्देश आईसीएआई द्वारा फरवरी, 2012 से परिचालित है |

- ***इस रिपोर्ट में क्या जानकारी है?***

यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए **44 क्षेत्रीय दलों** और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए **37 क्षेत्रीय दलों** द्वारा घोषित संपत्ति, देनदारियों और कैपिटल (पूंजी) का विश्लेषण किया गया है |

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति : वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **44 क्षेत्रीय** दलों की **कुल संपत्ति रु 2249.25 करोड़** थी जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए **37 क्षेत्रीय दलों** ने **रु 3000.62** करोड़ की कुल सम्पत्ति घोषित की है | (**अनुबंध -1** को देखें)

Total assets declared by the Regional Parties, FY 2020-21 & 2021-22 (in Rs Cr)

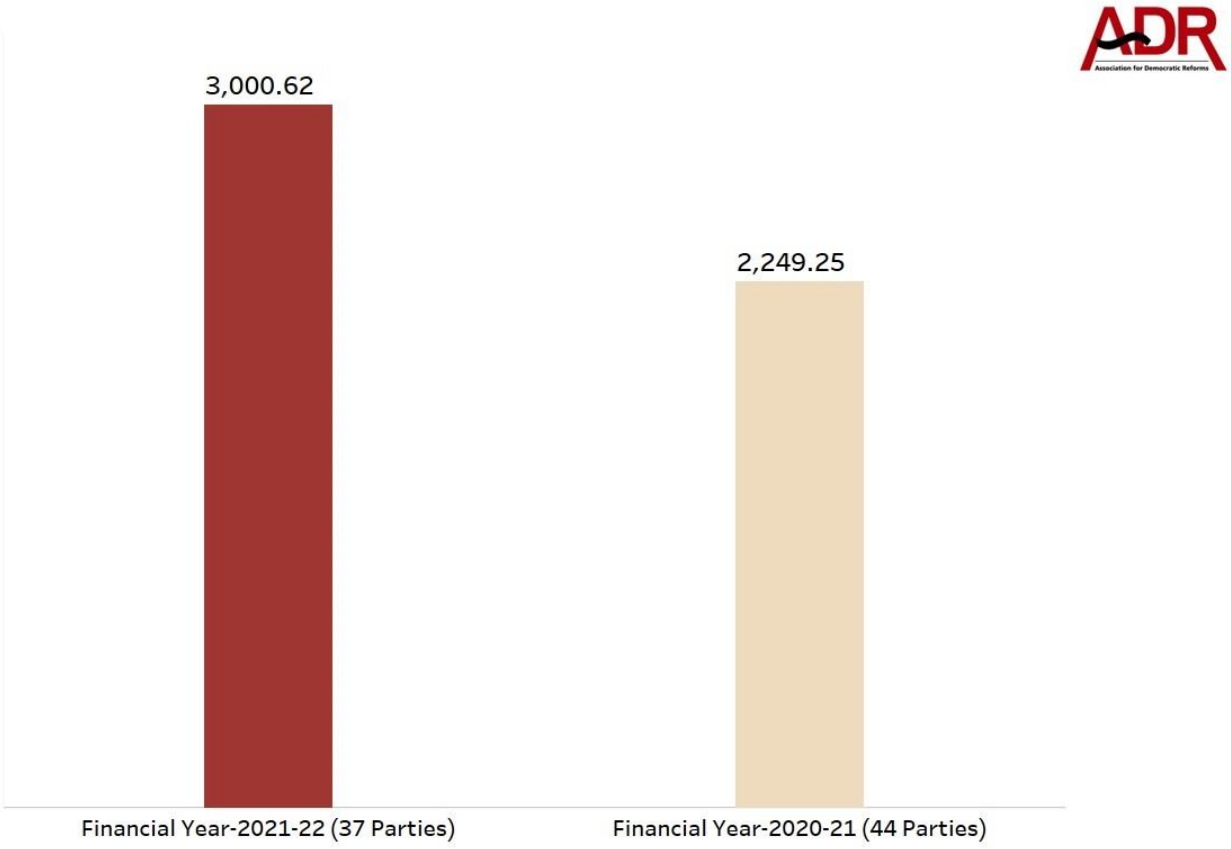

- शीर्ष के **10 क्षेत्रीय दलों** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **रु 1959.351 करोड़** की सम्पत्ति घोषित की थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में **48.48%** बढ़कर **रु 2909.186 करोड़** हो गयी |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, **समाजवादी पार्टी** ने सबसे अधिक **रु 561.46 करोड़** की संपत्ति घोषित की थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में **1.23%** बढ़कर **रु 568.369 करोड़** हो गई, इसके बाद **भारत राष्ट्र समिती** ने अपनी संपत्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु 319.55 करोड़** घोषित किया था जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर **रु 512.24 करोड़** हो गयी है |

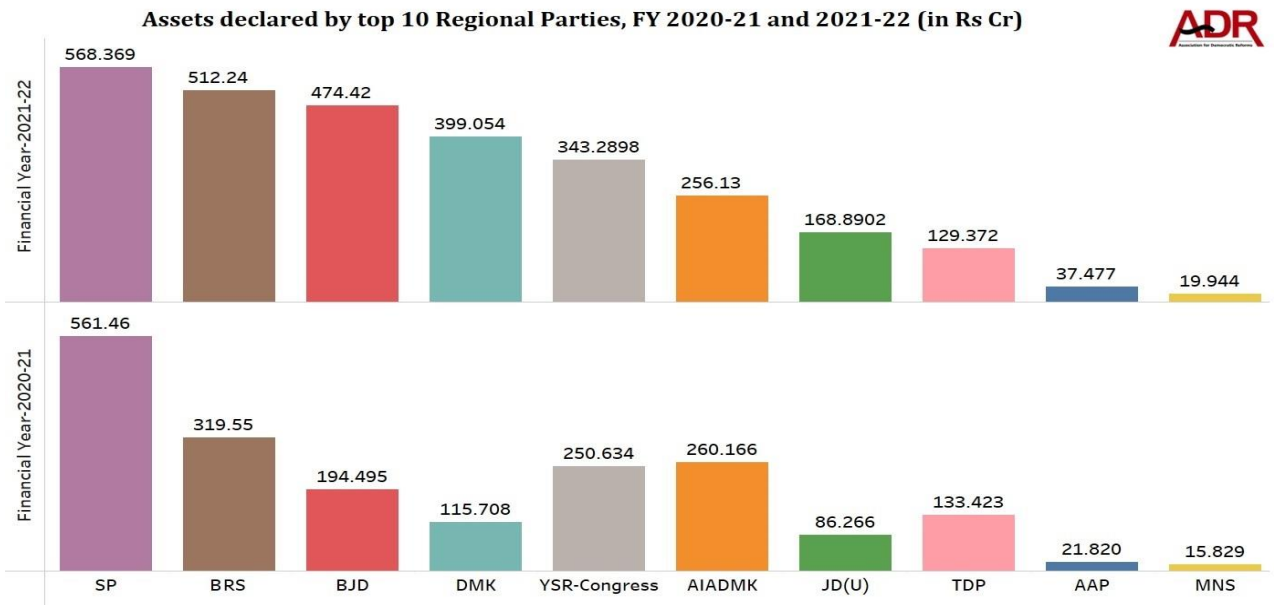

- वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, **डीएमके** (244.88%), **बीजेडी** (143.92%), और **जेडी(यू)** (95.78%) की कुल संपत्ति में **95% से अधिक** की बढ़ोतरी देखी गई है |
- **आम आदमी पार्टी** की सम्पत्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **रु 21.82 करोड़** थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में **71.76%** बढ़कर **रु 37.477 करोड़** हो गई |
- **एआईएडीएमके** की संपत्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **रु 260.166 करोड़** थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में **1.55%** घटकर **रु 256.13 करोड़** हो गयी और **टीडीपी** की सम्पत्ति में **3.04%** की कमी देखी गई है | यहाँ पर ध्यान देने की बात है की **शीर्ष के दस दलों में से** केवल **एआईएडीएमके** और **टीडीपी** की ही संपत्ति में गिरावट हुई है |

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित विभिन्न सम्पत्तियों का विवरण - वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22

- क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित सम्पति प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत आती है: अचल सम्पत्ति, ऋण और अग्रिम, एफडीआर/जमा, टीडीएस, निवेश और अन्य संपत्ति |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्षेत्रीय दलों ने **एफडीआर/फिक्स्ड डिपॉजिट्स** के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की जो क्रमशः **रु 1716.526 करोड़** (कुल संपत्ति का **76.32%)** और **रु 2220.67 करोड़** (कुल संपत्ति का **74.01%**) थी |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **समाजवादी पार्टी** ने **एफडीआर/फिक्स्ड डिपॉजिट्स** के तहत **रु 426.297 करोड़** और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान **रु 388.175 करोड़** की संपत्ति घोषित की है |
- दूसरी सबसे बड़ी सपंत्ति "अचल संपत्ति" के तहत घोषित की गई है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु 308.244 करोड़** थी और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान **रु 328.846 करोड़** हो गई |

Declaration of assets under various heads by Regional Parties, FY 2020-21 & FY 2021-22 (in Rs Cr)

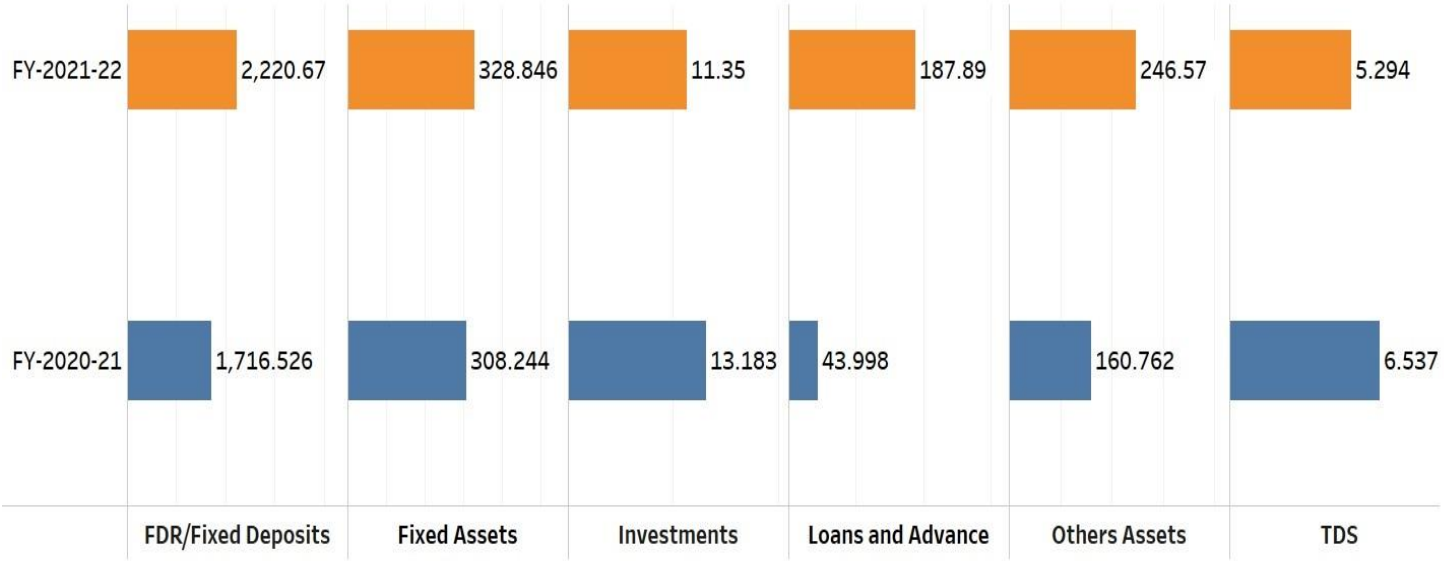

- **आरएलडी** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु **8.711 करोड़** और वित्तीय वर्ष 2021-22 में **रु 6.881 करोड़** की धनराशि **निवेश** में घोषित की है |

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित देनदारियों: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **44 क्षेत्रीय दलों** ने कुल **रु 54.0635 करोड़** की देनदारी घोषित की थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 (**37 क्षेत्रीय दलों** की देनदारी) में बढ़कर **रु 74.1873 करोड़** हो गयी है | (**अनुबंध -2** को देखें)

Total of liabilities by the Regional Parties – FY 2020-21 & 2021-22 (in Rs Cr)

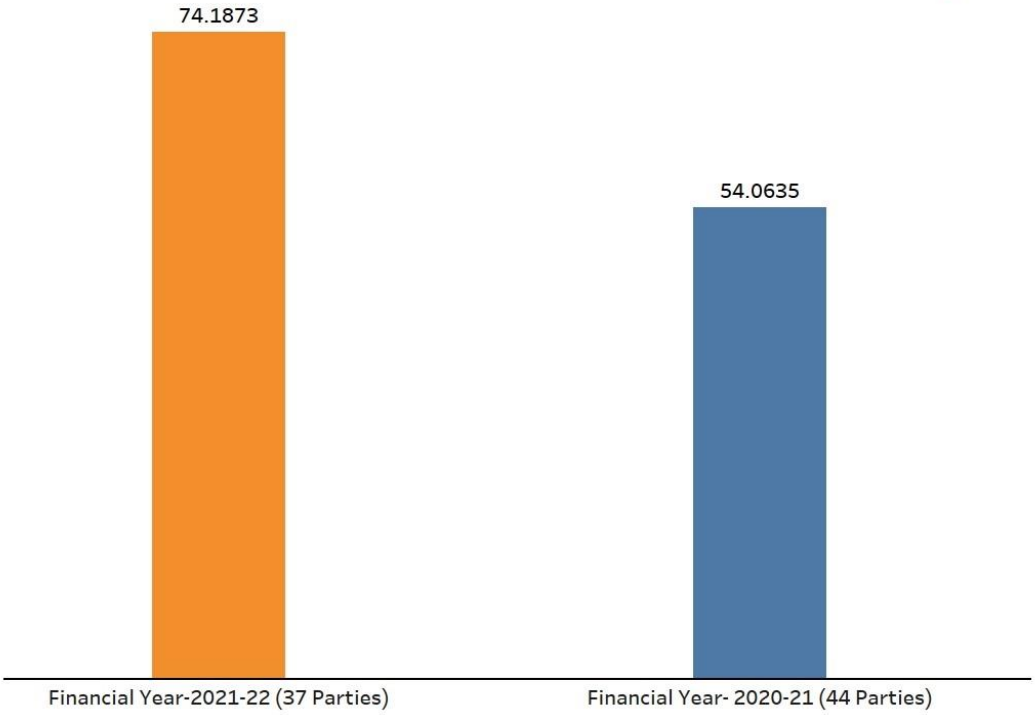

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, शीर्ष के **10 क्षेत्रीय दलों** ने **रु 72.618 करोड़** कि देनदारियां घोषित कि हैं जो वित्तीय वर्ष 2020-21 कि तुलना में **42.41%** की वृद्धि दर्शाती है |
- **टीडीपी** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे अधिक **रु 42.586 करोड़** की देनदारी घोषित की है जो पार्टी के पिछले साल की तुलना में **57.18% अधिक** है |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच, **बीजेडी** (1481.40%) और **और आम आदमी पार्टी** (222.50%) के देनदारियों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच, **जेडी(एस)** और **एजेएसयू पार्टी** द्वारा घोषित कुल वार्षिक देनदारियों में क्रमशः **8.29%** और **8.33%** की कमी देखी गई है |

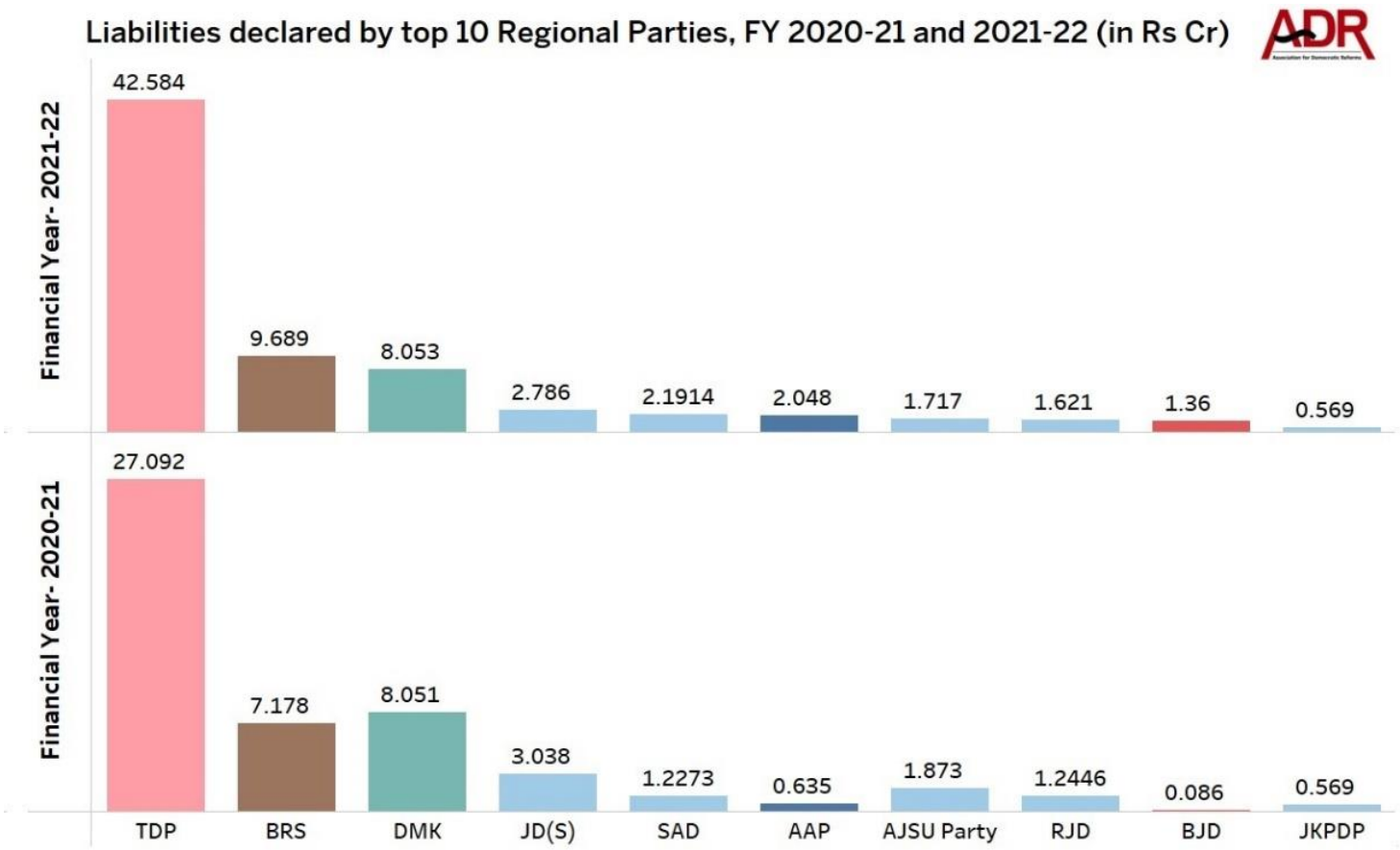

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित विभिन्न देनदारियों का विवरण - वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22

- क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित देनदारियाँ दो प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत आती है: **उधार** (बैंकों, ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और विविध देनदारों से) और **अन्य देनदारियाँ** |
- **वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान**, क्षेत्रीय दलों ने विभिन्न स्त्रोतों से **रु 39.4278 करोड़** की धनराशि "**उधार**" के रूप में घोषित की है, जबकि "**अन्य देनदारियों**" के रूप में **रु 14.6357 करोड़** की राशि घोषित की है |
- **वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान**, क्षेत्रीय दलों ने विभिन्न स्त्रोतों से **रु 54.6592 करोड़** की धनराशि "**उधार**" के रूप में घोषित की है, जबकि "**अन्य देनदारियों**" के रूप में **रु 19.5281 करोड़** की राशि घोषित की है |

- **टीडीपी** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान "**उधार**" के तहत क्रमशः **रु 22.665 करोड़** और **रु 39.469 करोड़** की उच्चतम देनदारियाँ घोषित की हैं |
- **एआईएफबी**, **जेसीसी(जे)** और **पीडीए** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल देनदारियां **शून्य घोषित** की हैं|

Declaration of liabilities under various heads by Regional Parties – FY 2020-21 & 2021-22 (in Rs Cr)

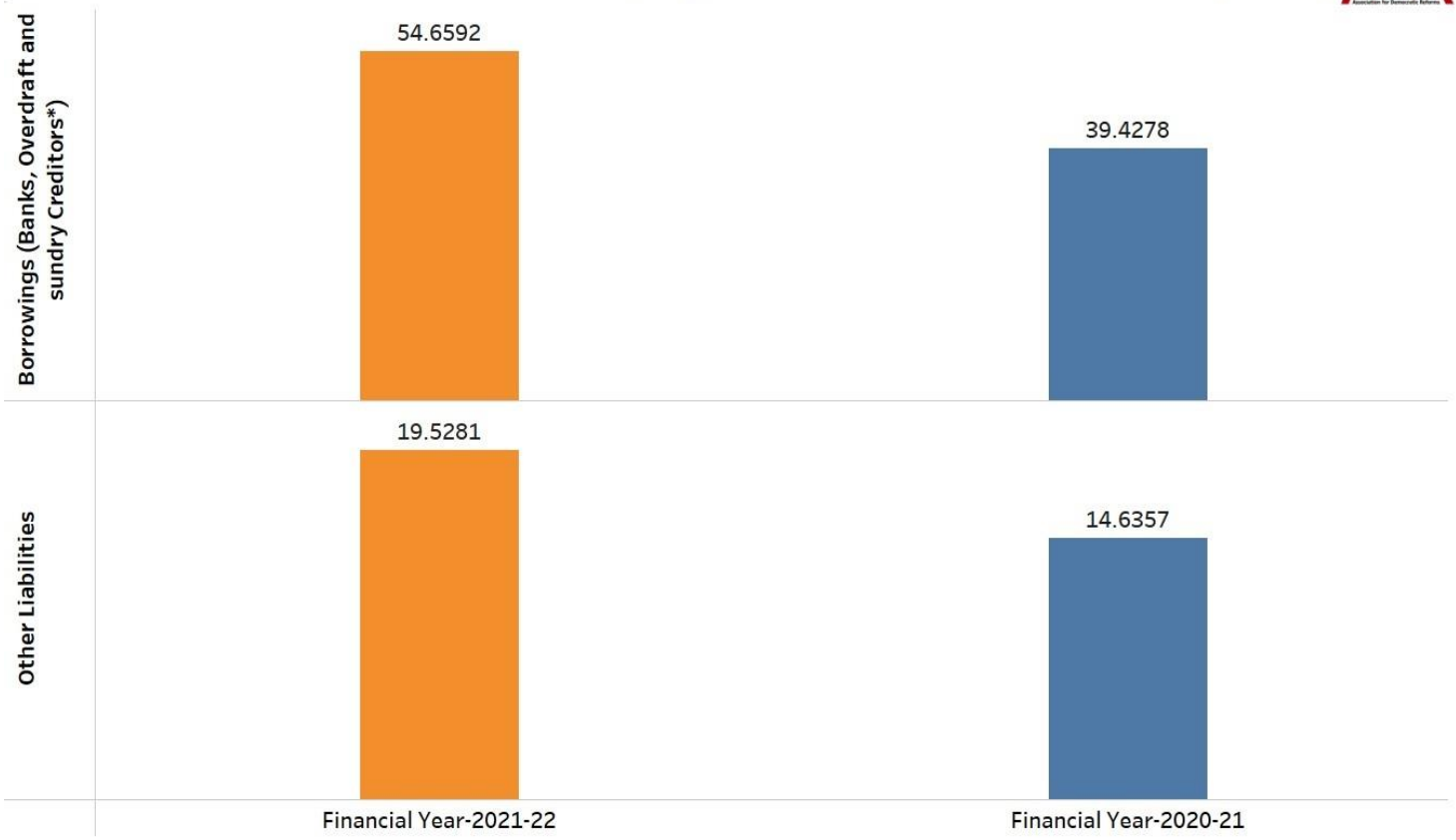

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कैपिटल (पूंजी): वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22

- **क्षेत्रीय दलों** की कैपिटल राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु 2195.191 करोड़** थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर **रु 2926.434 करोड़** हो गयी है |
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में **समाजवादी पार्टी** ने सबसे अधिक **कैपिटल राशि रु 568.037 करोड़** उसके बाद **भारत राष्ट्र समिती** ने **रु 502.551 करोड़** तथा **बीजेडी** ने **रु 473.06 करोड़** घोषित किया है |
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, शीर्ष 10 क्षेत्रीय दलों में **एमएनएस** ने सबसे कम **रु 15.824 करोड़** की पूंजी घोषित की इसके बाद **आम आदमी पार्टी** (रु 21.185 करोड़) का स्थान रहा |
- **डीएमके** के कैपिटल फण्ड में सबसे अधिक **263.19%** की वृद्धि हुई है **डीएमके** ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु 107.657 करोड़** का फण्ड घोषित किया था जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर **रु 391.001 करोड़** हो गया इसके बाद **बीजेडी** के कैपिटल फण्ड में भी **143.33%** वृद्धि देखी गयी है | **टीडीपी** के कैपिटल फण्ड में सबसे अधिक **18.38%** की कमी हुई है |

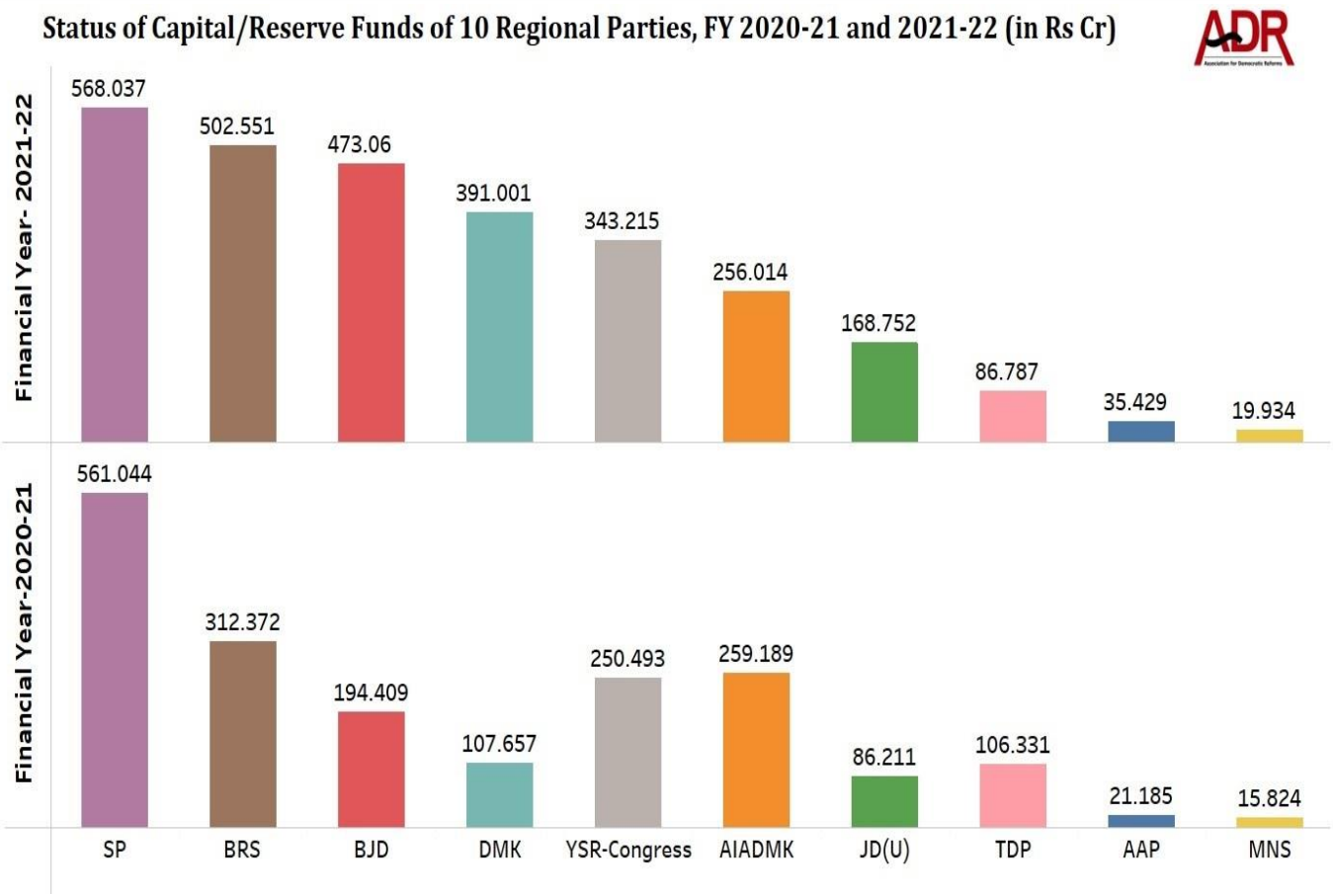

एडीआर के अवलोकन और सिफारिशें

अवलोकन

1. आईसीएआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, दलों ने जो ऋण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों/एजेंसीयों से लिया है उसका जानकारी आयकर विवरण में देना होता है | इन दिशानिर्देशों में यह भी वर्णित किया है की जो ऋण दलों ने लिया/दिया है, उनके वापसी/भुगतान की समय-सीमा की जानकारी भी देना होता है (जैसे वापसी एक साल के अंतर्गत, एक से पांच साल के बीच या पांच साल के बाद)- **सभी क्षेत्रीय दलों ने यह जानकारी घोषित नहीं किया है** |
2. दलों को दान के रूप में प्राप्त अचल संपत्ति का मूल लागत, अतिरिक्त या कटौती, निर्माण की लागत आदि का विवरण देना होता है | दलों से खरीदी गयी अचल सम्पति का भी विवरण देना चाहिए - **यह जानकारी सभी क्षेत्रीय दलों ने नहीं दी है** |
3. दलों द्वारा कुल ऋण का 10% या उससे अधिक नकद या अन्य प्रकार से दिया गया ऋण का ब्यौरा घोषित करना होता है और साथ ही साथ दी गयी राशि का वजह भी देना होता है - **सभी क्षेत्रीय दलों ने ये जानकारी घोषित नहीं की है** |
4. दलों के आय, व्यय और सम्पति में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने आईसीएआई को दिशानिर्देश तैयार करने की अनुरोध किया, लेकिन यह दिशानिर्देश कागज़ों तक ही सिमित रह गए | दलों ने अपने आयकर विवरण में इन दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया है |
    - दानदाताओं के पूरा विवरण और उनके क्षेत्रवार वर्गीकरण (जैसे व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों /अन्य) का प्रकटीकरण - **क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है** |

- कूपन का वर्गीकरण की जानकारी भी अलग अनुबंध के रूप में दलों को जमा करना चाहिए - **क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में वर्गीकरण नहीं किया गया है** |
- आय/व्यय की गणना लेखांकन की प्रोद्भवन विधि द्वारा की जाती है न की लेखांकन की नकदी-प्रवाह विधि द्वारा, जहा पहली विधि पारदर्शिता के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करती है |
- मूल्यह्रास का स्पष्ट अंदाजा लगाने के लिए अचल सम्पत्तियों का सालाना मूल्यांकन करें |

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में, **9 क्षेत्रीय दलों** (**IUML, JKNC, JKNPP, UPPL, LJSP, MNF, RLSP, RSP** और **UDP**) के आयकर विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, जबकि **38 दलों** ने अपना आयकर विवरण चुनाव आयोग को देरी से जमा किया है जो निर्धारित समय के बाद **1 दिनों** से **590 दिन** तक था |
6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, **17 क्षेत्रीय दलों** (**AIMIM, BPF, HSPDP, IUML, IPFT, JKNC, JKNPP, LJSP, MNF, MPC, RLSP, RLTP, RSP, SHS, SKM, UDP** और **ZNP**) के आयकर विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, जबकि **17 दलों** ने अपना आयकर विवरण चुनाव आयोग को देरी से जमा किया है जो निर्धारित समय के बाद **2 दिन** से **346 दिनों** तक था |

सिफारिशें

1. हर तीन साल में ऑडिटर का बदलाव :
   - अगस्त 29TH , 2013 में **Companies Act, 2013** में संशोधन लाया गया कि सब कंपनियों को हर पांच साल में अपने ऑडिटर बदलना अनिवार्य हैं | लेकिन यह नियम दलों पर लागू नहीं है | इसके कारण, जब एक ही फर्म/ऑडिटर दलों का ऑडिट कई सालों से करते हैं तो दलों के वित्तपोषण को अपारदर्शी करने में आसानी होती है |
   - हमारे देश में क़ानूनी तौर पर विदेशी ऑडिटिंग फर्म को भारत में संचालित करने की अनुमति नहीं है मगर भारतीय फर्म उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं | ऐसे साथ काम करने वाले भारतीय फर्मों को दलों का ऑडिटिंग नहीं करना चाहिए क्यूंकि ऐसा करने से विदेशी फर्म को भारतीय दलों की अंदरूनी एकाउंटिंग की जानकारी मिल सकती है |
   - राजनीतिक दलों के खातों को बनाये रखने के लिए, 255 वें कानून आयोग की रिपोर्ट ने यह सिफारिश की है कि **CAG** के पैनल से योग्य और अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट ही नियुक्त करें | वर्तमान में राजनीतिक दल स्वयं ही ऑडिटर का चयन करते हैं इसलिए इसे बदलने कि जरुरत है |

2. राजनीतिक दलों के आय और व्यय विवरण का मूल्यांकन शायद ही कभी किया जाता है| प्रस्तुत खातों कि प्रमाणिकता संदेहास्पद है | जब भी प्रमाणिकता सत्यापित नहीं होती हैं तो, जो भी ऑडिटर ने विवरण तैयार किया है उसे दंडित करना चाहिए | आईटीआर को आनलाइन जमा करने के साथ साथ दलों कि आय, व्यय, सम्पति और देनदारियों का विवरण भी उपलब्ध कराना चाहिए | इस प्रकार, आईटी विभाग में राजनीतिक दलों कि वित्तीय संबंधी जानकारी पयार्प्त रूप से उपलब्ध होगी | राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वार्षिक जाँच होनी चाहिए |

3. 170 वें कानून आयोग रिपोर्ट ने आर पी अधिनियम में धारा 78ए की प्रस्तावना कि सिफारिश की है जिसके दौरान समय पर खातों को न जमा करने वाले दोषी राजनीतिक दलों पर करवाई की जाएगी | इसे लागू करने की जरुरत है |
4. आईटी अधिनियम की धारा **276CC** उन व्यक्तियों को दण्डित करती है जो अपना आईटी रिटर्न्स जमा करने में विफल रहते हैं | ऐसे ही कानून या प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी लागू होने चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने "कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य" के फैसले में कहा था की जब पार्टियाँ अपने आईटी रिटर्न्स दाखिल करने में चूक करते हैं तो वो आईटी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं |

अस्वीकरण

रिपोर्ट में उपयोग किए गए डाटा का स्त्रोत राजनीतिक दलों द्वारा आयकर विभाग और भारत चुनाव आयोग को प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से लिया गया है | एडीआर किसी भी जानकारी को अपने रिपोर्ट में तब तक नहीं जोड़ता या घटाता है जब तक चुनाव आयोग डाटा में बदलाव नहीं करता | विशेष रूप से, किसी अन्य स्त्रोत से किसी भी असत्यापित जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है | इस डाटा को https://myneta.info/party और चुनाव आयोग के **वेबसाइट** में देख सकते हैं | डाटा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं और यह जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में उल्लेखित आकड़ों के अनुरूप है | यदि इस रिपोर्ट में दी गयी जानकारी और दलों के विवरणों में घोषित जानकारी में अंतर् पाया जाता है तो ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों द्वारा दी गई जानकारी ही सही मानी जानी चाहिए | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) और उसके स्वयंसेवक इसके प्रकाशन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे |

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एडीआर, भारत के चुनाव आयोग और सबंधित राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों के साथ प्रस्तुत राजनीतिक दलों के ऑडिट और योगदान रिपोर्ट के विश्लेषण और प्रसार में बहुत अत्यधिक सावधानी बरतता है | इस तरह की जानकारी का उद्देश्य केवल ***हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में धन के बढ़ते दुरूपयोग को उजागर करना है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रणाली को सुगम बनाया जा सके और मतदाताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके*** | इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एडीआर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का उपयोग करते समय उचित और अत्यधिक सावधानी बरतेगा | एडीआर किसी भी गलत तरीके से निपटने, विसंगति, समझने में असमर्थता, गलत व्याख्या या हेरफेर, डाटा को इस तरह से विकृत करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ताकि किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता या उम्मीदवार को लाभ या लक्षित किया जा सके |

सम्पर्क

नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)

Media and Journalist Helpline: +91 80103 94248, Email: adr@adrindia.org	**Maj. Gen Anil Verma (Retd.)** Head - NEW/ADR +91 11 4165 4200 +91 87997 18452 anilverma@adrindia.org	**Prof Jagdeep Chhokar** IIM Ahmedabad (Retd.) Founder Member- NEW/ADR jchhokar@gmail.com	**Prof Trilochan Sastry** IIM Bangalore Founder Member- NEW/ADR +91 94483 53285 tsastry@gamil.com

अनुबंध -1

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित संपत्ति, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22

Assets declared by Regional Parties, FY 2020-21 and 2021-22 (Rs in cr)			
Regional Political Party	**Financial Year- 2021-22**	**Financial Year- 2020-21**	**% change in assets**
SP	568.369	561.46	Rs 6.909 cr, (1.23%)
BRS	512.24	319.55	Rs 192.69 cr, (60.30%)
BJD	474.420	194.50	Rs 279.925 cr, (143.92%)
DMK	399.054	115.708	Rs 283.346 cr, (244.88%)
YSR-Congress	343.2898	250.634	Rs 92.6558 cr, (36.97%)
AIADMK	256.130	260.166	**Rs -4.036 cr, (-1.55%)**
JD(U)	168.8902	86.266	Rs 82.6242 cr, (95.78%)
TDP	129.372	133.423	**Rs -4.051 cr, (-3.04%)**
AAP	37.477	21.82	Rs 15.657 cr, (71.76%)
MNS	19.944	15.829	Rs 4.115 cr, (26.00%)
RLD	16.2901	19.8417	**Rs -3.5516 cr, (-17.90%)**
JD(S)	13.273	14.1826	**Rs -0.9096 cr, (-6.41%)**
JJP	10.814	6.6587	Rs 4.1549 cr, (62.40%)
JMM	8.229	7.298	Rs 0.9308 cr, (12.75%)
NDPP	7.386	7.341	Rs 0.045 cr, (0.61%)
RJD	5.930	5.697	Rs 0.233 cr, (4.09%)
SDF	5.916	6.602	**Rs -0.686 cr, (-10.39%)**
AIFB	4.363	4.3399	Rs 0.0231 cr, (0.53%)
SAD	3.589	4.17	**Rs 0.581 cr, (-13.93%)**
CPI(ML)(L)	3.050	2.806	Rs 0.244 cr, (8.70%)
PMK	2.903	3.70	**Rs -0.797 cr, (-21.54%)**
GFP	2.545	2.0342	Rs 0.5108 cr, (25.11%)
INLD	1.773	2.014	**Rs -0.2413 cr, (-11.98%)**
NPF	1.669	1.766	**Rs -0.097 cr, (-5.49%)**
AJSU Party	0.877	0.86	Rs 0.017 cr, (1.98%)
DMDK	0.8620	4.24	**Rs -3.378 cr, (-79.67%)**
MGP	0.369	0.3737	**Rs -0.0047 cr, (-1.26%)**
KC-M	0.3464	0.342	Rs 0.0044 cr, (1.29%)
JKPDP	0.277	0.312	**Rs -0.035 cr, (-11.22%)**
AIUDF	0.117	1.15	**Rs -1.033 cr, (-89.83%)**
JCC(J)	0.0939	0.095	**Rs -0.0011 cr, (-1.16%)**
AGP	0.0763	0.144	**Rs -0.0677 cr, (-47.01%)**
AINRC	0.0382	0.03	Rs 0.0082 cr, (27.33%)
PPA	0.0228	0.0194	Rs 0.0034 cr, (17.53%)
PDA	0.0066	0.007	**Rs -0.0004 cr, (-5.71%)**
PDF	0.0006	0.0031	**Rs -0.0025 cr, (-80.65%)**
UPPL	0.618	**NA**	-
SHS	**NA**	191.82	-
BPF	**NA**	1.605	-
SKM	**NA**	0.289	-
HSPDP	**NA**	0.0509	-
RLTP	**NA**	0.048	-
ZNP	**NA**	0.0436	-
IPFT	**NA**	0.0146	-
MPC	**NA**	0.0015	-
Total	**Rs 3000.62 cr**	**Rs 2249.25 cr**	**-**

अनुबंध -2

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित देनदारियां, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22

Liabilities declared by Regional Parties, FY 2020-21 & 2021-22 (Rs in cr)		
Regional Political Party	**Financial Year-2021-22**	**Financial Year-2020-21**
TDP	42.584	27.092
BRS	9.689	7.178
DMK	8.053	8.051
JD(S)	2.786	3.038
SAD	2.1914	1.2273
AAP	2.0478	0.635
AJSU Party	1.717	1.873
RJD	1.621	1.2446
BJD	1.36	0.086
JKPDP	0.569	0.569
SP	0.3317	0.416
PMK	0.289	0.289
INLD	0.1674	0.1624
JD(U)	0.139	0.055
RLD	0.1383	0.078
AIADMK	0.116	0.977
YSR-Congress	0.0753	0.141
JJP	0.0625	0.0241
DMDK	0.062	0.1425
CPI(ML)(L)	0.05	0.017
GFP	0.031	0.0285
SDF	0.022	0.0354
AINRC	0.0182	0.012
PDF	0.0159	0.0219
AIUDF	0.015	0.036
AGP	0.0115	0.0851
MNS	0.01	0.0049
MGP	0.0077	0.0001
KC-M	0.0022	0.1518
NPF	0.002	0.006
PPA	0.0018	0.0008
JMM	0.0006	0.374
AIFB	0	0
JCC(J)	0	0
NDPP	0	0.006
PDA	0	0
UPPL	0	NA
SHS	NA	0.0051
BPF	NA	0

Liabilities declared by Regional Parties, FY 2020-21 & 2021-22 (Rs in cr)		
Regional Political Party	**Financial Year-2021-22**	**Financial Year-2020-21**
IPFT	**NA**	0
HSPDP	**NA**	0
MPC	**NA**	0
RLTP	**NA**	0
SKM	**NA**	0
ZNP	**NA**	0
Total	**Rs 74.1873 cr**	**Rs 54.0635 cr**